न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री ईमरान मोहम्मद निवासी हुरडा तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 74/2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 20.02.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सुचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1422 दिनांक 25–07–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण जरिये पत्र क्रमांक 316 दिनांक 20.02.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया तथा प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन करने पर तहसीलदार हुरडा द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिहं संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)